आयुष्मान भारत योजना **2018**

आयुष्मान भारत योजना **2018** क्या है**?**

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रारम्भ की गयी "आयुष्मान भारत योजना" एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। जिसका उद्देश्य देश के करीब 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को अस्पताल में इलाज कराने का खर्च देना हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह परिवार 5 लाख रूपये तक का मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। औसतन प्रत्येक परिवार के 5 सदस्यो के हिसाब से इस योजना का लाभ देश के करीब 50 करोड़ से अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे।

प्रधानमंत्री की इस महत्वकांक्षी योजना को आयुष्मान भारत योजना 2018" जन आरोग्य योजना अभियान " एवं "आयुष्मान भारत बीमा योजना " के नाम से भी जाना जाता हैं.

इस योजना को देश में "मोदीकेयर" योजना के नाम से भा पुकारा जा रहा हैं क्योंकि यह योजना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा चलाई जा रही स्कीम "ओबामाकेयर" से प्रभावित हैं. यही कारण है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर इसे मोदीकेयर नाम दिया जा रहा हैं।

आयुष्मान भारत योजना लांच डिटेल

- आयु,मान भारत योजना को केंन्द्र सरकार की कैबिनेट द्वारा 21 मार्च 2018 को मंजूरी दे दी गई।
- इस योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी "आरोग्य एवं स्वास्थ्य केंद्र" के रूप में इंदु भूषण की 27 मार्च 2018 को नियुक्ति की गई.
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती पर छत्तीसगढ के बीजापुर में प्रथम "आरोग्य एवं स्वास्थ्य केंद्र" का उद्घाटन करते हुए इस योजना के प्रथम चरण की लांचिंग की।
- आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री द्वरा 23 सितंबर 2018 को इस योजना के प्रारम्भ करने की आधिकारिक घोषणा की।
- 25 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लागू.

आयुष्मान योजना की विशेषताएं

- आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत सुविधा को उपलब्ध करना हैं. इस स्कीम के पूर्ण रूप से लागू होने के उपरांत गरीब व पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति बीमार पड़ने या अन्य. किसी स्वास्थ्य से सम्बन्धित परेशानी होने पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ले पायेंगे, इन परिस्थितियों में उनके स्वास्थ्य के बीच में पैसों की कमी नहीं आयेगी।
- देश में करीब 1.5 लाख हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जायेंगे- हमारे देश की प्रत्येक बड़ी पंचायत में स्थित हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' के रूप विकसित किया जायेगा।
- इतना ही नहीं चिकित्सीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को स्थापित किया जायेगा।
- इस योजना के तहत व्यक्ति सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं।
- आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वारा भारत के करीब 10 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा. एक बार यह बीमा पॉलिसी लेने पर पूरे परिवार के (जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5 व्यक्ति शामिल) इसका लाभ ले सकते हैं. इस प्रकार करीब 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
- यहां लोगों को गंभीर बीमारियों या स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निशुल्क इलाज हो सकेगा। इसके साथही इस योजना में पूर्व से मौजूद बीमारियों भी कवर की जायेंगी।

- इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के सुविधाहीन परिवारों और शहरी क्षेत्रों के भी कुछ पेशों में लगे परिवार शामिल किये जायेंगे।
- दोनों ही श्रेणियों में लाभार्थी परिवारों को तय करने के लिए नवीन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा।
- देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में रहने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

हर परिवार को मिलेगा **5** लाख सालाना बीमा

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जायेगा. इस बीमा कवर से आप सभी छोट बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे।
- पॉलिसी लेने के पहले दिन से ही यह सभी सुविधाएं मिलना प्रारम्भ हो जायेंगी. अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आने जाने का भत्ता भी दिया जायेगा।
- अस्पताल में भर्ती होने के पहले के स्वास्थ्य संबंधी खर्चे और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी इसमें शामिल होंगे।
- कैशलेस के साथ पोर्टेबल भी होगा इलाज
- आप देश के किसी भी हिस्से में अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
- इसके साथ ही पूरा इलाज कैशलेस के साथ पेपरलेस भी होगा जिससे अस्पताल निर्धारित दरों से अधिक न वसूल सकें।
- इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली हेल्थ सर्विस पूरे देश में पोर्टेबल होगी, जिससे आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में इलाज को ट्रांसफर करा सकें।
- सरकारी के साथ निजी अस्पताल भी पैनल में होंगे

सुविधाहीनों को तय करने का आधार होगा **SECC** सर्वेक्षण

- आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इन शर्तों में से किसी एक शर्त पर खरा उतरना होगा.
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष का उम्र तक का कोई भी वयस्क सदस्य न हो।और उस घर की जिम्मेदारी कोई महिला संभाल रही हो।
- ऐसा परिवार जो कच्ची दीवार वाले एक कमरे के मकान में छप्पर में रह रहा हो।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई भी शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति न हो।
- भूमिहीन व एससी/एसटी परिवार जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत मानवीय श्रम हो।

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निम्नलिखित प्रकार के परिवार स्वतः सम्मिलित होंगे।

- बेघर व्यक्ति।
- निराश्रित व्यक्ति
- साफ सफाई करने वाले परिवार।
- आदिम जनजातीय परिवार
- भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका चलाने वाले परिवार.
- बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए व्यक्ति।

शहरी क्षेत्र मे रहने वाले निम्नलिखित व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा पायेंगे।

- भिखारी, घरेलू कर्मचारी, कचड़ा उठाने वाले,

- निर्माण कार्यकर्ता जैसे प्लंबर, मेसन, सुरक्षा गार्ड आदि।
- गृह आधारित कर्मचारी जैसे कारीगर, दर्जी, अन्य हस्तशिल्प कार्यकर्ता आदि।
- परिवहन कर्मचारी आदि।

योजना पर अमल कैसे होगा**?**

- आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदीरी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी को दी गयी हैं।
- इस योजना को संचालित करने के ले सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को राष्ट्र स्वास्थ्य संस्था बनाने के लिए कहा गया हैं. हालांकि वह अपनी सुविधानुसार पहले से मौजूद ट्रस्ट/सोसायटी/गैर लाभकारी संस्थान आदि को भी यह कार्य सौप सकते हैं या चाहते तो नई संस्था या ऐजेंसी को भी गठित कर सकते हैं।
- इस योजना में होने वाले कुल खर्च का 60 प्रतिशत केंन्द्र सरकरा व 40 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। शुरूआती दो वर्ष में 10,500 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।
- इस योजना का संचालन करने के लिए सरकरा द्वारा आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति की जा रही हैं. यह लोग अस्पतालों में बैठकर लाभार्थियों की सहायता करेंगे.

आयुष्मान भारत योजना टोल फ्री नंबर

- 1800-11- 565
- 14555